सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-06 सोमवार, दिनांक-07 मार्च, 2022 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.50 बजे अपराह्न तक ।

[1] आसन की सूचना :-

1. बिहार विधान सभा लोकतंत्र का मंदिर है और जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बिहार विधान सभा परिसर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिसंवेदनशील स्थल भी है। यहाँ आने वाले आगंतुकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उन्हें परिसर में आने पर वांछित स्थल तथा पदाधिकारियों से शीघ्रता और सुगमता से मुलाकात हो सके, इसके लिए मुख्य द्वार पर मैंने इंटरकॉम सुविधायुक्त एक सुसज्जित स्वागत कक्ष की स्थापना कराने का निर्णय लिया।

   माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर व्यक्तिगत रूचि ली तथा अपेक्षित सहयोग तथा मार्गदर्शन दिया। इसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इसमें सहयोग के लिए भवन निर्माण विभाग भी धन्यवाद के पात्र हैं। आज आप सबकी सुविधा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हो गया है। आप इसकी सुविधा का लाभ उठाकर अपना बहुमूल्य समय बचा सकते हैं।

2. मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच लोकतंत्र की जन्मभूमि वैशाली से युग के संवाहक हमारे कुछ बाल एवं युवा साथी आये हैं।

   मैं ''सामाजिक-नैतिक संकल्प अभियान'' के क्रम में जब वैशाली गया था। इन बच्चों ने वहाँ ''बाल एवं युवा संसद कार्यक्रम'' में भाग लिया था। इन्होंने सदन की गतिविधियों, वाद-विवादों का इतना शानदार प्रस्तुतिकरण किया था कि मैं और मेरे साथ वहाँ मौजूद सभी विधायकगण अभिभूत और गदगद हो गये थे।

   हमने इनसे वायदा किया था कि इन्हें बिहार विधान सभा की कार्यवाही को प्रत्यक्षत: देखने के लिए आमंत्रित करूँगा।

   आज ये हमारे बीच इस महान सदन में उपस्थित हैं। अत: हम सबकी जिम्मेवारी है कि इनके सामने संसदीय नियमों, मूल्यों और परंपराओं का सकारात्मक पक्ष सामने रखें।

मैं अपनी तथा आप सभी माननीय सदस्यों की तरफ से इन युवा साथियों से कहूँगा कि आप उस महान धरती से आये हैं, जहाँ लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का सलीका है। अतः उस मूल्य को अपने अंदर संरक्षित रखते हुए जीवन के जिस क्षेत्र में जायें वहाँ देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक बेहतर माहौल बनाने का प्रयास करें।

आप श्रद्धेय अटल जी की इन पंक्तियों को एक मंत्र के रूप में हमेशा याद रखियेगा:

छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।
मन हारकर, मैदान नहीं जीते जाते,
न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं।।

क्योंकि यही लोकतंत्र का मर्म है।

तत्पश्चात माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग द्वारा कहा गया कि लोकतंत्र की जन्मस्थली पर जो होनहार बच्चे भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हैं उनको सदन की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित करना गौरव की बात है। इसके लिए पूरे सदन की ओर से आसन को धन्यवाद दिया गया।

[2] <u>प्रश्नकाल</u> :-

(i) 05 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 02 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।
(iii) 10 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iv) 98 तारांकित प्रश्न अनागत।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-34 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा कहा गया कि विधायिका जब-जब मजबूत हुई है तब-तब प्रशासनिक दक्षता और सुशासन स्थापित हुआ है। इससे जब-जब हमलोग हटे हैं तब-तब पदाधिकारियों के बीच अराजकता फैली है। कई माननीय सदस्यों के पत्रों का ससमय उत्तर एवं अन्य प्रोटोकॉल के संबंध में कार्रवाई न हो पाने का उल्लेख किये जाने पर आसन द्वारा पूरे सदन की भावना का सम्मान करते हुए निदेश दिया गया कि बिहार विधान सभा एक समिति का गठन करेगी जो प्रोटोकॉल संबंधी एवं अन्य मामलों की समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या-637 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा निर्देश दिया गया कि सरकार विचार करके मंदिर, श्मशान, कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य माननीय सदस्य की अनुशंसा से कराने के संबंध में चलते सदन में स्थिति स्पष्ट करे।

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि अल्पसूचित तथा तारांकित प्रश्नों के शत-प्रतिशत जवाब ऑनलाईन प्राप्त हुए हैं। इसके लिए सरकार के सभी विभागों को हृदय से धन्यवाद। साथ ही माननीय सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे पूरक प्रश्न पूरी सजगता से कम से कम शब्दों में पूछें ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की भागीदारी हो सके।

[3] <u>कार्य स्थगन प्रस्ताव</u> :-

माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री सत्यदेव राम, श्री विजय कुमार, श्री राकेश कुमार रौशन, श्रीमती वीणा सिंह, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री विनय कुमार, श्री मुकेश कुमार रौशन एवं श्री सतीश कुमार द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

[4] <u>शून्यकाल</u> :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री मुरारी मोहन झा (ii) श्री मुकेश कुमार यादव

(iii) श्री राजकुमार सिंह
(iv) श्री अवध विहारी चौधरी
(v) श्री कुंदन कुमार
(vi) श्रीमती नीतु कुमारी
(vii) श्री सुर्यकांत पासवान
(viii) श्री मिथिलेश कुमार
(ix) श्रीमती शालिनी मिश्रा
(x) श्री इजहारूल हुसैन
(xi) श्री आलोक कुमार मेहता
(xii) श्री बीरेन्द्र कुमार
(xiii) श्री पवन कुमार जायसवाल
(xiv) श्री ललन कुमार
(xv) श्री संजय सरावगी
(xvi) श्री महा नंद सिंह
(xvii) श्रीमती संगीता कुमारी
(xviii) श्री अमरजीत कुशवाहा
(xix) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(xx) श्री संदीप सौरभ
(xxi) श्री संतोष कुमार मिश्र
(xxii) श्री कृष्णनंदन पासवान
(xxiii) श्री सुनील मणि तिवारी
(xxiv) श्री मनोज मंजिल
(xxv) श्री सत्यदेव राम
(xxvi) श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
(xxvii) श्री रामबली सिंह यादव
(xxviii) श्री अरूण सिंह
(xxix) श्री भूदेव चौधरी
(xxx) श्री राकेश कुमार रौशन
(xxxi) श्री विनय कुमार
(xxxii) श्री रण विजय साहू
(xxxiii) श्री छोटे लाल राय
(xxxiv) श्री विद्या सागर केशरी
(xxxv) श्रीमती मंजु अग्रवाल
(xxxvi) श्री जय प्रकाश यादव
(xxxvii) श्री विजय कुमार खेमका
(xxxviii) श्री ऋषि कुमार
(xxxix) श्री भीम कुमार सिंह
(xl) श्री ललित नारायण मंडल
(xli) श्री विजय कुमार
(xlii) श्री मुकेश कुमार रौशन
(xliii) श्री सतीश कुमार
(xliv) श्री प्रणव कुमार
(xlv) श्रीमती प्रतिमा कुमारी
(xlvi) श्रीमती भागीरथी देवी
(xlvii) श्री मो० नेहालउद्दीन
(xlviii) श्री छत्रपति यादव
(xlix) श्री संजय कुमार सिंह
(l) श्रीमती गायत्री देवी
(li) श्री संजय कुमार गुप्ता
(lii) श्रीमती वीणा सिंह
(liii) श्री पवन कुमार यादव
(liv) श्री गोपाल रविदास
(lv) श्री मोतीलाल प्रसाद
(lvi) श्री सुदामा प्रसाद
(lvii) श्री मो० इसराईल मंसूरी
(lviii) श्रीमती रश्मि वर्मा

[5] <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ</u> :-

(i) माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं अन्य सभासदों का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से स्वास्थ्य विभाग में स्थानान्तरित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा इसके उत्तर के लिए समय की मांग की गयी ।

(ii) माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी एवं अन्य सभासदों का विधि विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय मंत्री, विधि विभाग, श्री प्रमोद कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया तथा पूरक प्रश्न के क्रम में माननीय मंत्री, विधि विभाग द्वारा इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया, जिसे आसन द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

तत्पश्चात सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 04.05 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] **वित्तीय कार्य :-**

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग [पंचायती राज विभाग] पर वाद-विवाद तथा मतदान:-

माननीय पंचायती राज विभाग मंत्री, श्री सम्राट चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग में से पंचायती राज विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग [पंचायती राज विभाग] पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य, श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने आसन ग्रहण किया)

1. श्री कुमार शैलेन्द्र

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय सदस्य, श्री कुमार शैलेन्द्र के वक्तव्य के दौरान उनके कतिपय टिप्पणी पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए।

विपक्ष के माननीय सदस्यगण उनके द्वारा कही गयी बातों को कार्यवाही से निकालने एवं माननीय सदस्य से सदन में खेद प्रकट करने की माँग करने लगे।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से बार-बार अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहे तभी आसन सुनेगा।

तदुपरान्त विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये एवं इस विषय पर निम्नांकित माननीय सदस्य ने अपना पक्ष रखा:-

i. श्री विजय शंकर दूबे
ii. श्री महबूब आलम
iii. श्री अखतरूल ईमान
iv. श्री सत्येन्द्र यादव
v. श्री राम रतन सिंह
vi. श्री राजेश कुमार
vii. श्री जीतन राम माँझी
viii. श्रीमती स्वर्णा सिंह

सभी पक्षों की बात सुनने के उपरान्त आसन द्वारा नियमन दिया गया।

[7] **आसन का नियमन :-**

आसन द्वारा कहा गया कि माननीय सदस्य बोलते या प्रश्न करते या उत्तर देते समय वाद-विवाद को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं करेंगे, किसी ऐसे तथ्य संबंधी विषय का हवाला नहीं देंगे जिसपर न्यायिक निर्णय लंबित हो, किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप या उनके विरूद्ध असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और न ही उनपर बुरी नियत का दोष लगायेंगे, विधान मंडल के दूसरे सदन तथा संसद या किसी अन्य राज्य विधान मंडल के आचरण, कार्यवाही के संबंध में आक्षेप मूलक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, राष्ट्रपति या राज्यपाल या अपने न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करते हुए किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेंगे, देश द्रोहात्मक या मानहानिकर शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। सभा द्वारा नियुक्त किसी समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति या संयुक्त प्रवर समिति की किसी कार्यवाही का हवाला नहीं देंगे। अध्यक्ष की किसी व्यवस्था या निदेश पर अथवा अध्यक्ष के किसी प्रश्न, संकल्प या प्रस्ताव की स्वीकृति

के आदेश पर विमर्श या आपत्ति नहीं करेंगे। साथ ही माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे किसी को पीड़ा हो। मर्यादित नियमानुकूल और संविधान सम्मत भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

तदुपरान्त माननीय उपमुख्यमंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कहा गया कि आसन के निदेश का पालन करना हम सभी माननीय सदस्यों का दायित्व है, जिसका हम पालन करते भी हैं और यही हमारी परम्परा भी है। यह सदन हम सबों का आईना है, सम्पूर्ण बिहार हमें देख रहा है, इसलिए मेरा आग्रह है कि हम स्वस्थ रूप से सदन की कार्यवाही को चलायें।

तत्पश्चात माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा अशोभनीय, अभद्र तथा असंसदीय टिप्पणी सदन में न करने का सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया।

इसके पश्चात आसन द्वारा सदन के कार्यों के निष्पादन के उपरान्त इसे देख लेने की बात कही गयी ।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग [पंचायती राज विभाग] पर वाद-विवाद पुनः प्रारम्भ हुआ, जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

2. श्री राजेश कुमार
3. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन
4. श्री राज कुमार सिंह

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांगों पर अड़े रहे और शोरगुल करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।

5. श्री प्रफुल्ल कुमार माँझी
6. श्री मिथिलेश कुमार
7. श्रीमती कविता देवी
8. श्री रामविलास कामत

तत्पश्चात सरकार की ओर से माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया।

तदुपरान्त माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा पंचायती राज विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

इसके उपरान्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित शेष अनुदान की माँगें बारी-बारी से मुखबंध (गिलोटीन) द्वारा स्वीकृत हुई।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक ''बिहार विनियोग विधेयक, 2022''

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार विनियोग विधेयक, 2022 को सदन की अनुमति से पुनःस्थापित किया गया तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड एवं अनुसूची विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

राजकीय (वित्तीय) विधेयक ''बिहार विनियोग विधेयक, 2022'' सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[8] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 43 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-08 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-07.03.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।